

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR**

Endt.No A/2090 (JJB)/ Jabalpur, dated 26/05/2023  
III-6-4/72-XI

The copy of notification no. 1255-1299400/2023/50-2 dated 15-05-2023 issued u/s 4(1) & (2) of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 by the State Government, Department of Women & Child Development, Bhopal for Juvenile Justice Boards, Agar is forwarded to :-

- 1- The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
- 2- The District and Sessions Judge, Agar.
- 3- The District Judge (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore,
- 4- Shri/Smt.....CJM/JMFC & Principal Magistrate of District.....
- 5- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
- 6- Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(Vl.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- 7- P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
- 8- P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination & ILR)/OSD High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 9- P.A. to Director/Additional Director/MPSJA, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 10- Registrar (M) Confidential/A.O. Checker High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,

  
(Santosh Prasad Shukla)  
REGISTRAR(DE)

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र. 306-1236511-2023-चौवन-2.—श्री सैयद शाकिर अली जाफरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को हज कार्य हेतु सउदी अरब में स्टेट कोऑर्डिनेटर हज के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने हेतु चयन फलस्वरूप दिनांक 8 मई 2023 को कार्यमुक्त किया गया है.

अतः प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मोहम्मद अहमद खान, सहायक सचिव, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को अपने कार्य के साथ-साथ श्री सैयद शाकिर अली जाफरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के हज कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति अवधि (कार्यमुक्त होने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक की अवधि) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्र. 1255-1299400-23-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

## अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आगर	आगर	सुश्री चाहना शर्मा, JMFC

No. 1255-1299400-23-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

## SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agar	Agar	Sushri Chahana Sharma, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेसारिया, उपसचिव.